रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235710 CG-DL-E-11052022-235710

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] No. 335] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2022/वैशाख 21, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2022/VAISAKHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

सं. 13/2022—सीमा शल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 350(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'एमोक्सिसिलिन' जिसे 'एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट' के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2941 10 30 के अंतरगत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2017, जिसे सा.का.िन. 476 (अ) दिनांक 16 मई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/76/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

3215 GI/2022 (1)

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2022

#### No. 13/2022-Customs (ADD)

**G.S.R.** 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on 'Amoxycillin' also known as 'Amoxycillin Trihydrate', falling under tariff item 2941 10 30 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from China PR and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2017-Customs(ADD) dated the 16th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 476(E), dated 16th May, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. CBIC-190354/76/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.